



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.16(1)पुनर्गठन/विधि/प्रति/2014/ 1470 जयपुर, दिनांक:- 5-11-2014

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/प्रति/2014/510 दिनांक 02.06.14 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रवृत्त गवितियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आनेवाग करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिवृत्त किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिरक्षाओं का परीक्षण कर प्रस्तावों को संबंधित संसदीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् **बूंदी** जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. **बूंदी** जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम संख्या 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम 4 में यथा नामित पंचायतें अधिकांशता का प्रयोग करेंगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम 5 वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान थे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देनी जिससे अनुसूची के स्तम 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति केशवधपटन

क्र.सं.	वर्तमान गा.प. का नाम	वर्तमान गा.प. में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित गा.प. का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित गा.प. में सम्मिलित ग्रामी का नाम
1	दौलतपुरा	1.दौलतपुरा 2.नवागंज 3.सुनारी 4.गहिरपुरा 5.हरदेगंज 6.कानपुरा 7.देवपुरा 8.होसपुरा 9.दोकरपुरा 10.क्यापुरा 11.नारा	दौलतपुरा	1.दौलतपुरा 2.नवागंज 3.सुनारी 4.गहिरपुरा 5.हरदेगंज 6.कानपुरा 7.देवपुरा 8.होसपुरा 9.दोकरपुरा 10.क्यापुरा 11.नारा
2	मोहनपुरा	1.मोहनपुरा 2.छत्रपुरा 3.झींझा 4.दरानावाली 5.बारागाँव 6.रतनपुरा	मोहनपुरा	1.मोहनपुरा 2.छत्रपुरा 3.झींझा 4.दरानावाली 5.बारागाँव 6.रतनपुरा

3	हावई	1.हावई 2.मोतीनगर 3.केलापुरी 4.मोहियागांव 5.संगमगंज 6.खालपुरा 7.खजपुरा 8.जयनारायण 9.सुन्दरनगर 10.जयनगर 11.सुन्दरपुरा 12.जयनगर 13.जयनगर	हावई	1.हावई 2.मोतीनगर 3.केलापुरी 4.मोहियागांव 5.संगमगंज 6.खालपुरा 7.खजपुरा 8.जयनारायण 9.सुन्दरनगर 10.जयनगर 11.सुन्दरपुरा 12.जयनगर 13.जयनगर
4	गुवा	1.गुवा 2.शेरगंज 3.पारवा 4.कानपुरा 5.रामपुरा 6.जयनगर 7.जयनगर 8.रामनगर	गुवा	1.गुवा 2.शेरगंज 3.कानपुरा 4.रामपुरा 5.रामनगर 6.खालपुरा 7.खजपुरा
5	नवलपुरा	1.नवलपुरा 2.शिवगंज 3.लक्ष्मीपुरा 4.अमरपुरा 5.केशोपुरा 6.गन्धपुरा 7.कोलपुरा 8.भीमपुरा	नवलपुरा	1.नवलपुरा 2.शिवगंज 3.लक्ष्मीपुरा 4.अमरपुरा 5.केशोपुरा 6.गन्धपुरा 7.कोलपुरा 8.भीमपुरा

पंचायत समिति बूंदी

क्र.सं.	वर्तमान गा.प. का नाम	वर्तमान गा.प. में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित गा.प. का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित गा.प. में सम्मिलित ग्रामी का नाम
1	धनगरी	1.धनगरी 2.नरता बावडी 3.भीमपुरा 4.नवरिया कुआ 5.अंबेड	धनगरी	1.धनगरी 2.नरता बावडी 3.अंबेड

पंचायत समिति तालेडा

क्र.सं.	वर्तमान गा.प. का नाम	वर्तमान गा.प. में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित गा.प. का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित गा.प. में सम्मिलित ग्रामी का नाम
1	अटकानगर	1.अटकानगर 2.सीतापुरा 3.गंगास 4.गोहिका	अटकानगर भुट सीतापुरा	1.अटकानगर 2.सीतापुरा 3.गंगास 4.गोहिका 5.रतन बावडी 6.होसपुरा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महानदी राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन सचिव राज 0 जयपुर।
6. समस्त संमानीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रजिस्ट्रार पत्रावली।

 उप-शासन सचिव(वि.वि.)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/प्रस्ताव/2014/ 1471 जयपुर, दिनांक- 15-11-2014

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/प्रस्ताव/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्ति आग्रह करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिशप्ताओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संमानीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् **बूंदी** जिले में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन संलग्न सूची के अनुसार किया जा चुका है और कि :-

1. **बूंदी** जिले में इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित हैं;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायतें अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;

3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथानामित पंचायतों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;

4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तालिका से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति बिम्बोली				
क्र.सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रामों के नाम
1	सबूर	1. सबूर 2. बाकरी 3. शोला की झो 4. तालाब गांव 5. नडावा 6. हरिपुर 7. रामपुरिया	सबूर	1. सबूर 2. बाकरी 3. शोला की झो 4. तालाब गांव 5. नडावा 6. हरिपुर 7. रामपुरिया
2	-	-	तालाब गांव	1. तालाब गांव 2. नडावा 3. रामपुरिया 4. बाकरी



3	टीकावश	टीकावश	टीकावश
	1. टीकावश 2. टीकावश 3. टीकावश 4. टीकावश		

क्र. स.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम
1	बम्बरी	1. बम्बरी 2. नन्दापुर 3. बग का खंडा 4. गोबरिया 5. जावटीखुर्द 6. ऐरा	बम्बरी	1. बम्बरी 2. नन्दापुर 3. बग का खंडा 4. गोबरिया 5. ऐरा	5
2	दोलाडा	1. दोलाडा 2. बालापुरा 3. कुलपत्ती 4. बलदेवपुरा 5. शिव शक्ति का खंडा	दोलाडा	1. दोलाडा 2. बालापुरा 3. कुलपत्ती 4. बलदेवपुरा 5. शिव शक्ति का खंडा	
3	हटटीपुरा	1. हटटीपुरा 2. काजरी सीलोर 3. बीनवा 4. रघुवीरपुरा 5. बहादुरपुरा 6. अस्ताली 7. दोलपुरा	हटटीपुरा	1. हटटीपुरा 2. काजरी सीलोर 3. रघुवीरपुरा 4. बहादुरपुरा 5. अस्ताली 6. दोलपुरा	
4	जावटीकला	1. जावटीकला 2. गणतपुरा 3. काटनरा 4. रघुनाथपुरा 5. गोबरपुरा 6. ब्यालपुरा	जावटीकला	1. जावटीकला 2. गणतपुरा 3. काटनरा 4. रघुनाथपुरा 5. गोबरपुरा 6. ब्यालपुरा	

क्र. स.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम
1	डाबी	1. डाबी 2. देवडिया 3. डरार 4. धडी	डाबी	1. डाबी 2. धडी	5
2	धनेरार	1. धनेरार 2. कपूरपुरा 3. बगवा 4. सखडा 5. भगनीपुरा 6. भगनीपुरा उर्फ डरार	धनेरार	1. धनेरार 2. बगवा	
3			सूडा	1. सूडा 2. भगनीपुरा 3. कपूरपुरा 4. भगनीपुरा उर्फ डरार	
4	गणेशपुरा	1. गणेशपुरा 2. बगवा 3. नवली	गणेशपुरा	1. गणेशपुरा 2. बगवा 3. नवली	

क्र. स.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम
1	मधोराजपुरा	1. मधोराजपुरा 2. बानीया 3. छेडली 4. जगनाथा 5. जाखरन	मधोराजपुरा	1. मधोराजपुरा 2. बानीया 3. छेडली 4. जगनाथा 5. जाखरन	5
2	बडी	1. बडी 2. हरिनाथपुर 3. हरिनाथपुर 4. कौवाटन (मानीग)	बडी	1. बडी 2. हरिनाथपुर 3. हरिनाथपुर 4. कौवाटन (मानीग)	
3	सारसला	1. सारसला 2. अण्णपुरा 3. श्रीपुरा 4. नीताडा 5. समरपुरिया	सारसला	1. सारसला 2. अण्णपुरा 3. श्रीपुरा 4. नीताडा 5. समरपुरिया	
4	बालोद	1. बालोद 2. डोलर 3. च्यावरी 4. सैफत जगनिर 5. खेडली व्यासान 6. बीरज	बालोद	1. बालोद 2. डोलर 3. च्यावरी 4. सैफत जगनिर 5. खेडली व्यासान 6. बीरज	
5	अरनेडा	1. अरनेडा	अरनेडा	1. अरनेडा	
6	करवाला	1. करवाला 2. बनिधारी 3. रघुनाथपुरा 4. बालदडा	करवाला	1. करवाला 2. बनिधारी 3. रघुनाथपुरा 4. बालदडा	
7	जयस्थल	1. जयस्थल 2. रीताना 3. ओहडी	जयस्थल	1. जयस्थल 2. रीताना 3. ओहडी	

राज्यपाल की आज्ञा से,
(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राजठ जयपुर।
6. समस्त संमानीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मद्रापालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

(राजेश यादव)
शासन सचिव (जि.सि.)